तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	न0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर

अपील संख्या– 129/2022 अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

(GCMS No. 2022/159)

अनवानः

1. चेतनराम पुत्र धुड़ाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम पलाना तहसील व जिला बीकानेर।

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र श्रीराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम पलाना तहसील व जिला बीकानेर।
2. स्टेट जरिये तहसीलदार बीकानेर।

8.4.2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपति पर बहस सुनी गई। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस कथन किया कि उपरोक्त अनुवानी अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर के संपरिवर्तन आदेश दिनांक 20.12.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसका क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। इस न्यायालय के समक्ष केवल मात्र जिला कलक्टर न्यायालय के द्वारा पारित संपरिवर्तन आदेशों के विरूद्ध ही अपील संधारण योग्य है। उपरोक्तानुसार अपील क्षेत्राधिकार से बाहर प्रस्तुत की गई है। इसलिए पत्रावली में क्षेत्राधिकार के बिन्दु को प्रथम स्टेज पर ही तय किया जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर निरस्त फरमायी जावे।

हमने अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपत्ति का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया। यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर के संपरिवर्तन आदेश दिनांक 20.12.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय में पेश हुई है, जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अतः अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपति स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट क्षेत्राधिकार बिन्दु पर खारिज की जाती है। पत्रावली नंबर से कम हो। आदेश सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर